

‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रपरिषद ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत [एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी](#) ‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ की भाँति प्रदेश के लिये तैयार की गई उत्तर प्रदेश [एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी](#) ‘अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ को अनुमोदित कर दिया है।

प्रमुख बंदि

- नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व नदिशालय (संस्कृत विभाग) द्वारा संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों का स्थलीय विकास, रखरखाव एवं जन-सुवधिओं का प्रबंधन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों व नजी क्षेत्र की सहभागिता से कथिा जाएगा।
- इसके तहत संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों को वकिसति करने के लयि नजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मत्तिर बनाया जाना प्रस्तावति है।
- चयनति स्मारक मत्तिरों द्वारा स्वयं के संसाधनों से स्मारकों का स्थलीय विकास, पर्यटकों के लयि स्मारक परसिर में जन-सुवधि प्रबंधन एवं वार्षकि रखरखाव आदि की व्यवस्था की जाएगी।
- एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी के अंतर्गत चयनति स्मारक मत्तिर, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व नदिशालय (संस्कृत विभाग), पर्यटन विभाग एवं संबंधति ज़ल्लै के ज़लाधिकारी के मध्य एमओयू कथिा जाएगा, जसिकी अधिकितम अवधि 5 वर्ष होगी।
- प्रस्तावति कार्य संस्कृत विभाग (उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व नदिशालय) एवं पर्यटन विभाग द्वारा संबंधति जनपद के ज़लाधिकारी के माध्यम से पारस्परकि सहयोग से कथिा जाएगा।
- योजना के करयानवयन हेतु **संस्कृत विभाग एवं पर्यटन विभाग की एक संयुक्त समतिि** बनाई जाएगी। संयुक्त समतिि द्वारा नरिधारति कार्ययोजना के अनुसार कार्य कथिा जाएगा।
- मंत्रपरिषद द्वारा नीति के अंतर्गत प्रथम चरण में पुरातत्त्व नदिशालय (संस्कृत विभाग) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व विभाग को **1 प्रमुख स्मारकों/स्थलों** का चयन स्मारक मत्तिर बनाए जाने के लयि कथिा जाने के प्रस्ताव को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।
- चयनति स्मारकों में छतरमंजलि एवं फरहत बख्श कोठी, कोठी गुलसिताने इरम, दर्शन वलास कोठी (कैसरबाग, लखनऊ), हुलासखेड़ा उत्खनन स्थल (मोहनलालगंज, लखनऊ), कृसुमवन सरोवर, गोवर्धन की छतरयिँ (गोवर्धन, मथुरा), रसखान समाधि (गोकुल, मथुरा), गुरुधाम मंदरि (वाराणसी), कर्दमेश्वर महादेव मंदरि (कंदवा, वाराणसी), चुनार कला (मरिज़ापुर) एवं प्राचीन दुर्ग (बरुआसागर, झाँसी) सम्मलतिि हैं।